रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 15, 2018/आश्विन 23, 1940
No. 741] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2018/ASVINA 23, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 1034(अ).— प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 की उप धारा (2) के खंड (क) द्वारा यथाअपेक्षित संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 414(अ) दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में कतिपय नियम राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्ते और कार्यप्रणाली) संशोधन नियम, 2018 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था, एवं ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना की प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और, उक्त राजपत्र जनता को 25 अप्रैल, 2018 को उपलब्ध करा दिया था;

और, यथा विनिर्दिष्ट तारीख से पहले किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

इसलिए, अब, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतत् द्वारा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्ते और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्ते तथा कार्यप्रणाली) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्ते और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 में, नियम 3 में –

(i) खंड (क) में "अस्सी हजार रुपये प्रतिमास का वेतन" शब्दों के स्थान पर शब्द "वेतन और भत्ते" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में "उच्च प्रशासनिक श्रेणी के अनुसार वेतनमान (रु. 67000/- + 3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि – 79000/-)" शब्दों, आंकड़ों और चिन्हों के स्थान पर "वार्षिक वेतनवृद्धि के साथ उच्च प्रशासनिक श्रेणी के शुरूआती स्तर के समान वेतन" शब्द रखें जाएंगे; और